



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ए.पी.-अ.-20082026-275620
CG-AP-E-20082026-275620

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4396]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 19, 2026/श्रावण 28, 1948

No. 4396]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 19, 2026/SHRAVAN 28, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण तट रेलवे)

अधिसूचना

विशाखपट्टणम, 18 अगस्त, 2026

का.आ. 4576(अ).— केंद्र सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित), की धारा 20ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी तथा भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), में 10 अप्रैल, 2026 को प्रकाशित भारत सरकार, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), दिनांक 10 अप्रैल, 2026 की अधिसूचना द्वारा प्रकाशित का.सं. 1769 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि अर्थात् आंध्र प्रदेश राज्य में अनंतपुरमु जिले के ताटिचेर्ला गांव और अनंतपुरमु रूरल मंडल में विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् 3000एमटी लोडिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्युत कर्षण प्रणाली का 1x25केवी से 2x25केवी के कर्षण प्रणाली में उन्नयन कार्य – गुत्ती-धर्मवरम सेक्शन में ताटिचेर्ला टीएसएस का निर्माण के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के प्रयोजन हेतु आवश्यक भूमि को अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और जबकि, उक्त अधिसूचना का सार दैनिक समाचारपत्रों, “एबीएन आंध्र ज्योती (तेलुगु)”, “वार्ता (तेलुगु)”, और “डेक्कन क्रॉनिकल (अंग्रेजी)” में 18 अप्रैल, 2026 को एच.के.भगोरिया, मुख्य इंजीनियर, निर्माण- I, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद के अनुमोदन से प्रकाशित किया गया था;

और, जबकि, कोई आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई थीं और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन पर विचार किया गया तथा उन्हें अस्वीकृत कर तदनुसार आदेश पारित किए गए हैं और, जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उपधारा (1) के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और, आगे, उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप-धारा (2) के अनुसरण में केंद्र सरकार एतद्वारा यह घोषणा करती है कि आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमो से मुक्त होकर केंद्र सरकार में आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी.

अनुसूची

अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का विवरण : 3000 एमटी लोडिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्युत कर्षण प्रणाली का 1x25केवी से 2x25केवी में उन्नयन कार्य- आंध्र प्रदेश राज्य में अनंतपुरमु जिले के ताटिचेर्ला गांव और अनंतपुरमु रूरल मंडल के भूमि का गुत्ती-धर्मवरम सेक्शन में ताटितेर्ला टीएसएस का निर्माण.

क्रम सं.	पुराना सर्वेक्षण क्रमांक	पुनः सर्वेक्षण के अनुसार एलपीएम सं.	एलपीएम, एल.ए. उप मंडल सं.	भूमि अधिग्रहण क्षेत्र (एकड़ों में)	बेवलैंड अडंगल के अनुसार पट्टादार का नाम	एजॉयर का नाम	एजॉयमेंट क्षेत्र (एकड़ों में)	प्रस्तावित भूमि की सीमाएँ				संरचनाएं
								उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	
1	332-2B	1982	1982	1.081	यनमाला ईश्वरय्या सुपुत्र कुल्लायप्पा	यनमाला ईश्वरय्या सुपुत्र कुल्लायप्पा	1.081	1981	1983	बी.सं.:63 पोडुराल्ला	2033	230 मीठे संतरे के पेड़, 1 बोरवेल, 1 विद्युत खंभा
2	332-3	1983	1983	1.387	जोन्नाकुंटा सावित्री पत्नी शिवा रेड्डी	जोन्नाकुंटा सावित्री पत्नी शिवा रेड्डी	1.387	1982	1984	बी.सं.:63 पोडुराल्ला	1980	बंजर
3	332-2B	2033	2033	0.050	शेष भूमि	यनमाला ईश्वरय्या सुपुत्र कुल्लायप्पा	0.050	1981	1983	1982	1980	10 मीठे संतरे के पेड़
कुल				2.518								

[फा. सं. W.Con/182/SRP/TSS/TAC/20E]

एच.के.भगोरिया, मुख्य इंजीनियर/निर्माण-I

MINISTRY OF RAILWAYS**(South Coast Railway)****NOTIFICATION**

Visakhapatnam, 18 August, 2026

S.O. 4576(E) .— Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O.1838(E), dated the 7th April, 2026 published in Gazette of India vide Gazette No.1769 Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 10th April, 2026 and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the Purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, “Construction of Taticherla TSS in Gooty –Dharmavaram section for Up-gradation work of Electric Traction System from 1x25KV to 2x25 KV to meet 3000MT loading target ” in Thaticherla village & Ananthapuramu Rural Mandal in Ananthapuramu District in the state of Andhra Pradesh.

And, whereas, the substance of the said notification was published in the daily newspapers namely the “ABN Andhra jyothi (Telugu),” Vaartha” (Telugu), “and Deccan chronicle” (English), “dated 18th April, 2026 with the approval of H.K. Bhagoria, Chief Engineer, Construction-I, South Central Railway, Secunderabad.

And, whereas, NO objections were received and same have been considered and disallowed by the Competent Authority and accordingly orders have been passed And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the Said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Description of lands in Acquisition: Construction of Taticherla TSS in Gooty –Dharmavaram section for Up-gradation work of Electric Traction System from 1x25KV to 2x25 KV to meet 3000MT loading target” in Thaticherla village & Ananthapuramu Rural Mandal in Ananthapuramu District in the state of Andhra Pradesh.

S. No	Old Survey No.	LPM No as per Re survey	LPM, L.A. sub division No.	L.A Extent in (AC.)	Name of the Pattadar as per Webland Adangal	Name of the enjoyer	Enjoyment extent (AC.)	Boundaries of the proposed land				Structure
								North	South	East	west	
1	332-2B	1982	1982	1.081	Yanamala Eswaraiah S/o Kullayappa	Yanamala Eswaraiah S/o Kullayappa	1.081	1981	1983	V.No.63 podaralla	2033	230 Sweet orange trees, 1 Borewell, 1 Electric pole

2	332-3	1983	1983	1.387	Jonnakunta Savitri W/o Siva Reddy	Jonnakunta Savitri W/o Siva Reddy	1.387	1982	1984	V.No.63 podaralla	1980	Banjaru
3	332-2B	2033	2033	0.050	Migulu Bhoomi	Yanamala Eswaraiah S/o Kullayappa	0.050	1981	1983	1982	1980	10 Sweet orange trees
Total				2.518								

[F. No. W.Con/182/SRP/TSS/TAC/20E]

H.K. BHAGORIA, Chief Engineer/Con-I